<u>मान्यता आवेदन निरस्तीकरण पत्र</u>

No. LBSPSTC/CC-91328-2024/2023-24 **Dated: 03/04/2024**

प्रेषकः—

लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद भारत
मुख्य कार्यालय द्वितीय तल सुनील कॉम्प्लेक्स निकट आर० जी० डिग्री कॉलेज
मेरठ 250002

सेवा में,

आदिशक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामैडिकल सांइस दौराला
मेरठ प्रथम तल, लक्ष्मी प्लाजा, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, दौराला उ0प्र0—250221
द्वारा अन्नु मावी एवं प्रवेश कुमार
सचिव / अध्यक्ष

विषय :— <u>पैरामैडिकल कोर्स की मान्यता हेतु दिये गये आवेदन को मान्यता / सम्बद्धता की अर्हता व पात्रता निर्धारित अवधि में पूर्ण न किये जाने के आधार पर आवेदन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में सूचना कारणो सहित निम्नवत् प्रेषित है</u> :—

श्रीमान जी,

आपके इंस्टीट्यूट की ओर से काउंसिल को पैरामैडिकल कोर्स के 20 विषयों में सत्र 2023—24 से सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया था। चूँकि सम्बद्धता / मान्यता हेतु काउंसिल की ओर से जो मान्यता आवेदन प्रोस्पेक्टर सहित आपको उपलब्ध कराया गया था, उसमें दिये गये दिशा—निर्देशो का व वांछित दस्तावेजो को सम्बन्धित विभागो से एन0ओ0सी0 आदि लेकर आपके द्वारा दिनांक 20—02—2024 तक कार्यालय में जमा नहीं कराया गया। जिसकी वजह से आपके इंस्टीट्यूट के मान्यता आवेदन को काउंसिल की समिति ने उपलब्ध करायी गयी

आख्या/रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया गया है। चूँकि आपने जो अंकन 50,000/–रूपये की रकम आवेदन के साथ शुल्क के रूप में जमा की थी, उसे लौटाने के लिए भी पत्र प्रेषित करके आग्रह किया है। जिसके आधार पर आपको मान्यता आवेदन किन कारणो के आधार पर निरस्त किया गया है, वह सभी निरस्तीकरण पत्र में अंकित करते हुये उपलब्ध कराया जा रहा है तथा आपको यह भी अवगत कराया जा रहा है कि मात्र 2100/–रूपये प्रोसिसिंग फीस की कटौती करके शेष रकम अंकन 47,900/–रूपये आपको आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये खाते मे ट्रांसफर की जा रही है।

सम्बद्धता/मान्यता आवेदन निरस्तीकरण के कारण व आधार

1.	प्रश्नगत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का केंद्र खोलने हेतु सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा पारित रिजोल्यूशन की प्रति
2.	कॉलेज के नाम अंकित भूमि की खतौनी एवं नजरी नक्शा सम्बन्धी दस्तावेज
3.	भूमि संचालन सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम अंकित होने की स्थिति में कॉलेज के नाम लीज डीड की पुष्टि
4.	कॉलेज के नाम अंकित भूमि के संबध में संयुक्ता का प्रमाण पत्र
5.	कॉलेज पहुंचने हेतु संपर्क मार्ग होने की स्थिति तथा उसकी चौड़ाई के संबध में तहसीलदार का प्रमाण पत्र
6.	कॉलेज की भूमि ग्राम सभा तालाब चरागाह की होने अथवा न होने की स्थिति
7.	15 किमी की परिधि में स्थित कॉलेज की संख्या एवं उसमें संचालित पाठ्यक्रम की स्थिति
8.	15 किमी की परिधि में स्थित इंटरमीडिएट कॉलेजों की संख्या एवं सूची छात्र संख्या सहित।
9.	नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) का प्रमाण पत्र

10.	एनजीओ दर्पण मंत्रालय का प्रमाण पत्र
11.	ग्राम प्रधान/सभासद का प्रमाण पत्र
12.	राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्व संहिता की धारा 143 का प्रमाण पत्र
13.	कॉलेज में याचित पाठ्यक्रम हेतु प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय से सम्बन्धित प्रयोगशाला स्थापित होने एवं उपकरण सम्बन्धी बिल
14.	टीचिंग ब्लॉक के सामने का, भवन के पीछे का, कक्षाओं की आंतरिक, प्रधानाचार्य कक्ष, लाईब्रेरी, रिसेप्शन एवं प्रयोगशालाओं इत्यादि के कमरों का फोटोग्राफ
15.	अस्पताल के सामने का, पीछे का व आंतरिक साज–सज्जा एवं उपकरण/उपस्कर इत्यादि को दिखाते हुये स्पष्ट फोटोग्राफ
16.	सम्बन्धित प्रशिक्षण की विशेषज्ञता सुविधाओं को दिखलाते हुये स्पष्ट आंतरिक फोटोग्राफ
17.	संस्था की बैलेन्सशीट (पिछले 2 वर्षो की)
18.	प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि (टीचिंग ब्लॉक एवं हॉस्टल ब्लॉक) एवं हॉस्पिटल की भूमि के मालिकानाहक का प्रमाण–पत्र
19.	हॉस्पिटल का ऑनलाईन पद्धति वाला पंजीयन प्रमाण पत्र
20.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र
21.	कॉलेज में वर्तमान अध्यापको का विवरण एवं प्रधानाचार्य के शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र
22.	अग्नि शमन प्रमाण पत्र
23.	शपथपत्र
24.	संस्थान का इंजीनियर द्वारा प्रमाणित व डेव्लपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित नक्शा
25.	कॉलेज को चलाने वाली प्रबंधक कमेटी के सदस्यों व पदाधिकारियों का विस्तृत विवरण

नोट: उपरोक्त सभी प्रपत्रों के आभाव के कारण आपका मान्यता आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

ई–लाइफ इंस्टीट्यूट कंकरखेडा मेरठ की ओर से काउंसिल को मौखिक व लिखित रूप में सूचना दी गयी है कि उनके संस्थान में अध्ययनरत करीब 2 दर्जन विद्यार्थीयो को आपने अपने इंस्टीट्यूट मे विभिन्न कोर्सो मे प्रवेश दे रखा है, जबकि उन्होने प्रथम वर्ष की परीक्षा ई लाइफ इंस्टीट्यूट में शिक्षण व प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद परीक्षा में भाग लिया, लेकिन द्वितीय वर्ष में ऐसे विद्यार्थीयो व अभ्यर्थीयों को आपने अपने इंस्टीट्यूट मे प्रवेश दे रखा है। चूँकि ईलाइफ इंस्टीट्यूट की सम्बद्धता उपरोक्त काउंसिल से प्रदान की गयी है और उन्हीं के नियंत्रण मे इन अभ्यर्थीयो ने प्रवेश लिया था, लेकिन द्वितीय वर्ष की परीक्षा में यदि ऐसे अभ्यर्थी या प्रशिक्षणार्थी भाग नही लेंगे, तो ऐसे सभी अभ्यर्थीयो के प्रथम वर्ष के परीक्षाफल निरस्त किये जायेंगे, जिसके लिए आप व ऐसे अभ्यर्थी/विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। काउंसिल का कोई उत्तरदायित्व ऐसे विद्यार्थीयो के लिए नही होगा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
2. सचिव, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
3. परिक्षा नियंत्रक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
4. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद, भारत।
5. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली भारत सरकार।
6. उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार।
7. उच्चतर शिक्षा विभाग माधवपुरम मेरठ।
8. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
9. परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
10. गार्ड फाइल।

Sonam

Your Faithfully
(Dr. Sonam Arya)
Registrar
Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council,
India